

## सर्वेक्षण प्रपत्र

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक W.P. (C) No. 1244/2017 "Aureliano Fernandes Vs State of Goa and others." में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को पारित आदेश के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्र के कार्यालयों का सर्वे हेतु।

## 1. संस्थान का विवरण

- संस्थान का नाम: समाधान महाविद्यालय
- संस्थान का पता: अमरचि विहार, रामपुरी, बीजापुर जिला
- संस्थान के अधिष्ठाता: डॉ. अमरेश जेहल
- संस्थान का फोन नंबर: 7000614366

## 2. कर्मचारी संख्या

- कुल कर्मचारी: 46
- पुरुष कर्मचारियों की संख्या: 30
- महिला कर्मचारियों की संख्या: 16

## 3. आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) के गठन से जुड़े प्रश्न:

- क्या POSH अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया गया है?

☒ हाँ

☐ नहीं

यदि हाँ, कृपया निम्न विवरण भरें एवं ICC गठन का आदेश का दस्तावेज़ उपलब्ध करावें:

1. समिति गठन की तिथि: 10-09-2021

2. समिति में कुल सदस्यों की संख्या: 05

3. क्या समिति में निम्न शामिल हैं?

- ☒ महिला अध्यक्ष (Presiding Officer) - वरिष्ठ स्तर की कर्मचारी
- ☒ कम से कम 2 कर्मचारी सदस्य (महिला कल्याण / सामाजिक कार्य से जुड़ी पृष्ठभूमि वाले)
- ☒ एक बाहरी सदस्य (NGO/कानूनी विशेषज्ञ)

4. समिति में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है? 5:0

यदि नहीं, तो कृपया यथाशीघ्र आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करें, अन्यथा 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' की धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है। गठन होने के पश्चात समिति के गठन का प्रमाण प्रस्तुत करें।

Bipin  
5329327726

सर्वेक्षण कर्ता के हस्ताक्षर एवं दिनांक